कार्यवाही विवरण

मेसर्स श्री पवन स्टोन क्रशिंग इण्डस्ट्रीज, करमंदा लाईम स्टोन (लो–ग्रेड) माइनिंग प्रोजेक्ट (प्रो. श्री दुखीराम राठौर) ग्राम–करमंदा, तहसील–बलौदा, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.) द्वारा खसरा क्रमांक 1032/2, 1035, 1034/1, 1036, 1032/3, 1033/2, 1034/2 एवं 1038/2, कुल क्षेत्रफल–1.979 हेक्टेयर में प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज)–उत्खनन क्षमता–1,10,010 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् दिनांक 28/08/2023 को समय प्रातः 11:00 बजे स्थान–आवेदक की ग्राम–करमंदा स्थित निजी भूमि खसरा नं. 1032/2, तहसील–जांजगीर, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.) में आयोजित लोकसुनवाई का कार्यवाही विवरण :–

भारत शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार मेसर्स श्री पवन स्टोन क्रशिंग इण्डस्ट्रीज, करमंदा लाईम स्टोन (लो–ग्रेड) माइनिंग प्रोजेक्ट (प्रो. श्री दुखीराम राठौर) ग्राम–करमंदा, तहसील–बलौदा, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.) द्वारा खसरा क्रमांक 1032/2, 1035, 1034/1, 1036, 1032/3, 1033/2, 1034/2 एवं 1038/2, कुल क्षेत्रफल–1.979 हेक्टेयर में प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज)–उत्खनन क्षमता–1,10,010 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में लोक सुनवाई हेतु उद्योग के आवेदन के परिपेक्ष्य में स्थानीय समाचार पत्र हरिभूमि, बिलासपुर में दिनांक 28.07.2023 तथा राष्ट्रीय समाचार पत्र द पायोनियर, नई दिल्ली के मुख्य संस्करण में दिनांक 28.07.2023 को लोक सुनवाई संबंधी सूचना प्रकाशित करवाई गई थी। तद्नुसार लोक सुनवाई दिनांक **28/08/2023 को समय प्रातः 11:00 बजे स्थान–आवेदक की ग्राम–करमंदा स्थित निजी भूमि खसरा नं. 1032/2, तहसील–जांजगीर, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.)** में आयोजित की गई। ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट, कार्यपालक सार की प्रति (हिन्दी व अंग्रेजी) एवं इसकी सी.डी. (साफ्ट कापी) जन सामान्य के अवलोकन/पठन हेतु कार्यालय कलेक्टर जिला–जांजगीर–चांपा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, कार्यालय जिला पंचायत जांजगीर, जिला–जांजगीर–चांपा अनुविभागीय अधिकारी (रा0), कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बलौदा/अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा, महाप्रबंधक, कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र चांपा, जिला–जांजगीर–चांपा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत बलौदा, तहसील–बलौदा, जिला–जांजगीर–चांपा, क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, व्यापार विहार पं. दीनदयाल उपाध्याय पार्क के पास, बिलासपुर, **सरपंच/सचिव कार्यालय ग्राम पंचायत– करमंदा, बैजलपुर, तेन्दुभाटा, रैनपुर, करमंदी, ओराई, मौहार, दर्रापाली, तहसील–बलौदा, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.),** डायरेक्टर, पर्यावरण, वन

एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, वायु विंग, जोरबाग रोड़, नई दिल्ली, मुख्य वन संरक्षक, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, अरण्य भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर (छ.ग.) एवं मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, पर्यावास भवन, नॉर्थ ब्लॉक, सेक्टर – 19, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर (छ.ग.) में रखी गई है। परियोजना के संबंध में सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां एवं आपत्तियां सूचना प्रकाशन जारी होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर में मौखिक अथवा लिखित रूप से कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया। इस दौरान लोक सुनवाई के संबंध में सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां/आपत्तियों के संबंध में इस कार्यालय को कोई आवेदन पत्र प्राप्त हुआ हैं।

लोक सुनवाई हेतु निर्धारित **तिथि 28/08/2023 को समय प्रातः 11:00 बजे स्थान–आवेदक की ग्राम–करमंदा स्थित निजी भूमि खसरा नं. 1032/2, तहसील–जांजगीर, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.)** में आयोजित की गई। लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ की गई।

सर्वप्रथम श्री एस.पी.वैद्य अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दण्डाधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, जिला–जांजगीर–चांपा द्वारा लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ करने की अनुमति के साथ श्री देवव्रत मिश्रा, क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर द्वारा भारत शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 (यथा संशोधित) के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई के महत्व एवं प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी जनसामान्य को दी गई।

तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक की ओर से **श्री वरूण भारद्वाज, जेनिथ इन्वायरमेंट्स कंसलटेंसी, नोएडा (उत्तर प्रदेश)** के द्वारा मेसर्स श्री पवन स्टोन क्रशिंग इण्डस्ट्रीज, करमंदा लाईम स्टोन (लो–ग्रेड) माइनिंग प्रोजेक्ट (प्रो. श्री दुखीराम राठौर) ग्राम–करमंदा, तहसील–बलौदा, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.) द्वारा खसरा क्रमांक 1032/2, 1035, 1034/1, 1036, 1032/3, 1033/2, 1034/2 एवं 1038/2, कुल क्षेत्रफल–1.979 हेक्टेयर में प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज)–उत्खनन क्षमता–1,10,010 टन प्रतिवर्ष के परियोजना के संबंध में संक्षिप्त जानकारी जनसामान्य को अवगत कराया गया।

अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दण्डाधिकारी, जिला–जांजगीर–चांपा द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को जनसुनवाई संबंधी विषय पर अपने सुझाव, आपत्ति, विचार, टीका–टिप्पणी मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात् उपस्थित लोगों ने मौखिक रूप से सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां दर्ज कराया गया। जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1. **श्री किशोर साव, ग्राम–सरखो** :–ये क्रेशर जो लगत हे, वोखर बारे मा दू शब्द बोलना चाहत हव। ये क्रेशर लगही, जो भी उद्योग लगते, क्षेत्र वाला मन ला रोजगार मिलथे। जो बेरोजगार, वाला मन ला, रोजगार मिलथे। कुछ व्यापारी मन ला फायदा होथे, किसान मन ला भी फायदा होथे। उद्योग लगत हे, तो क्षेत्र वाला मन ला फायदा ही होही। मैं चाहत हव ये उद्योग लगे, आसपास के क्षेत्र वाला मन ला फायदा मिलय।

2. **श्री राम गोपाल डिक्सेना, ग्राम–देवरहा :–** करमंदा मा जो आवेदन लगे है, ओखर चालू होये मा ग्रामवासी मन ला और यहां हमर साथी मन ला रोजगार मिलही। यहां जो भी काम होही, उमनला पूरा लाभ मिलही, ये परियोजना चालू होना चाहिए। ऐखर बर मैं निवेदन करत हव। ये जन सुनवाई होवत हे, ये बात के समझ सबेझन ला, ऐखर खुले मा गांव वाले ला अधिक से अधिक फायदा, यहां पर जितना बेरोजगार साथी मन है। उमनला भी रोजगार मिलही। ये सुनवाई में मैं सहमत हूॅ, यहां खदान खुलना चाहिए।

3. **श्री पंचराम रात्रे, सरपंच ग्राम पंचायत करमंदा :–** हमारे ग्राम पंचायत करमंदा में विभिन्न प्रकार की समस्याये है। 25 से 30 नहीं। 50 साल से खदान यहां पर संचालित है और यहां से खदान चल रहा है। आज कल जिस तरह से रायल्टी की चोरी हो रही है। हमारे ग्राम पंचायत में राजस्व की चोरी हो रही है, खदान वाले उत्पादन कर रहे है, हमारे ग्राम पंचायत में राजस्व नहीं आ रहा है। रायल्टी की हेरा–फेरी हो रही है। हमारे ग्राम पंचायत को राजस्व की क्षति हो रही है। रायल्टी का पैसा नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा हमारे जो मुख्य समस्याये है। ब्लास्टिंग की है, यहां पर ब्लास्टिंग की रूल नही है। यहां पर बोर ब्लास्टिंग किया जा रहा है। जिसके कारण हमारे ग्राम पंचायत में विभिन्न प्रकार की समस्याये हो रही है। घर दरारे पड रही है, नल–जल का स्तर नीचे हो गया है। ब्लास्टिंग से कंपन करता है। ऐसा लगता है कि हमारे गांव में भूकंप आ गया है। हमारे ग्राम पंचायत में सबके लिए बात रखना चाह रहा हूॅ। क्योंकि समस्या से हमारा ग्राम जूझ रहा है। जितने भी निजी क्षेत्र में खदान संचालित है जिस तरह से हमारे खदान में गिट्टी, पत्थर तोडाई किया जा रहा है उसका जो भंडारण है अपने निजी क्षेत्र में करें। हमारे ग्राम में शासकीय जमीन को कब्जा किया जा चुका है। बाउंडीवॉल किया गया है। मुख्य समस्या आ रही है। गाय को चराने के लिए तरस रहे है, कैसे गांव वाले सही बात है कि गलत बात है। हमारा विशेष समस्या है। अवैध रूप से भंडारित किये है उनके ऊपर कार्यवाही करो, शासकीय भूमि खाली होना चाहिए।

जितने भी खदान द्वारा क्रेशर संचालित किया जा रहा है, उनके द्वारा पर्यावरण के लिए समुचित व्यवस्था नहीं किया गया है। कही पर जाओ, कहीं पर डस्ट उड रहा है, धूल उड रह है, कहीं गढ्ढे है। ये समस्या तो हमारे पूर्वज झेलते आ रहे है करमंदा में, तो हमारी पीढी भी झेलने के लिए तैयार है। हमारे ग्राम पंचायत में जितने भी क्रेशर संचालित है, खदान संचालित है। वो अपने जगह को चिन्हाकिंत करें, जगह को बाउण्ड्रीवॉल करें। हमारे गाय व हमारे जनधन के हानि मत हो। उनके परिसर के अंदर मत जाये और दुर्घटना न हो। ये हमारा निवेदन है। खदान से जितना वेस्टेज पानी निकल रहा है, खदान तो खाली करना ही है, काम करने के लिए बरसात में भर जाती है। व्यर्थ पानी है उस पानी को खेत लगा है सिंचाई के लिए उपयोग किया जा सके। पानी वहां तक पहुंच जाती है तो हमारा फसल नुकसान नहीं होगा। इस साल बारिश तो हुआ ही नहीं है, हमारे गांव में तो अभी सुखा पडने वाले है। पानी वेस्टेज जा रहा है, पानी को सिंचाई के लिए हमारी मदद करे, हमारे खेतो में सिंचाई के लिए सहयोग करें। अपेक्षा रखते है। बहुत पीडा है हमें। हमारे ग्राम पंचायत की समस्या से अवगत करायेंगे। हम लोग किस–किस समस्या से जूझ रहे होंगे। यहां पर कोई भी इण्डस्ट्रीज संचालित होती है तो रोजगार मिलता ही है, मगर वो अपने दायरे में रहकर कार्य करता है। एक निश्चित लिमिट से कार्य करता है। सबको ध्यान में रखकर कार्य करेगा। जनता का हित होगा।

4. **श्री रविशंकर, ग्राम–औराईकला :–** ये खदान का समर्थन करता हूॅ। गांव का विकास होगा। रायल्टी आयेगी।

5. **श्री सतीश कुमार वैष्णव पंच, ग्राम–करमंदा :–** बेराजगार मन ला रोजगार मिलते करथे। दुख कब लगते कि आस–पास के ग्रामवासी ला समस्या से जुझना पडतथे। हमर गांव मा खदान खुले हे। हमरे बीच के भाई मन ला रोजगार मिलत हे। आस–पास क्षेत्र के घर है वो ब्लास्टिंग होही तो पत्थर गिर जाही। लईका है, सियान है, सब के ऊपर, पर्यावरण संबंधी आस–पास मा धूल धक्कड होथे, सुबह–शाम रोड मा पानी छिडकाव की व्यवस्था होना चाहिए। शासकीय भूमि मा अवैध प्रकार के भंडारण होवत हे। ऐखर भी निवारण होना चाहिए।

6. **श्री राम लखन, ग्राम–करमंदा :–** खदान खुले मा कोई आपत्ति नहीं हे।

7. **श्री गोविंद, ग्राम–करमंदा :–** कोई आपत्ति नहीं है, खदान खुले मा। रोजगार मिलथे।

8. **श्री बांके सिंह, ग्राम–बिरगहनी :–** जन सुनवाई का समर्थन करता हूॅ।

9. **श्री चंद्रशेखर पाण्डेय :–** आज की जन सनुवाई का समर्थन करता हूॅ।

10. **श्री रमेश राठौर, ग्राम–तेंदूभाटा –** आज की जन सुनवाई का समर्थन करता हूॅ।

11. **श्री लोकपाल पटेल, ग्राम–लच्छनपुर :–** इस जन सुनवाई का समर्थन करता हूॅ।

12. **श्री लव कुमार बरेठ, बैजलपुर :–** जन सुनवाई मा कोई आपत्ति नहीं है।

13. **श्री पिताम्बर कर्ष, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत करमंदा :–**हमारे ग्राम में जो उद्योग लगे हुये है, पत्थर खदान है, क्रेशर खदान संचालित लगे हुये है। उन सभी ग्रामों से जो राजस्व आय का जो व्यवस्था बनता है कहीं न कहीं ग्राम के लिए बहुत खुशी की बात है राजस्व से उन ग्राम का विकास होता है। पहला खदानों में बोर ब्लास्टिंग प्रतिबंधित हो। बोर ब्लास्टिंग से रहवासी घरो में क्षति हो रही है, नल–जल का स्तर नीचे गिर रहा है। बिना ब्लास्टिंग का काम तो होही नहीं सकता है, बोर ब्लास्टिंग का पूरे गांव वालो को सामना करना पढ रहा है, मकानों में दरारे पढ रही है। हमारे ग्रामवासियों का निवेदन है। दूसरा क्रेशर संचालको के द्वारा पर्यावरण का समुचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जिस कारण गांव वालो को प्रदूषण से जूझना पड रहा है। क्रेशर अगर चल रहा है, उसका धूल, डस्ट उड रहा है, इससे काफी सारे प्रभावित हो रहे है। जमीन से जब धूल डस्ट जाते है। कहीं न कहीं बंजर की स्थिति आ जाती है। कोई अनाज या फसल उत्पन्न नहीं हो पाता है। तीसरा अपने जमीन को चिन्हाकिंत घेराबंदी किया जाये। जिससे जन–धन मवेशियों की दुर्घटना को रोका जाय। क्रेशर, खदान उनका संचालित है। अपने ही जमीन में, अपना खदान संचालित कर सकें। डस्ट को अपने ही जमीन में किया जाये। ताकि हमारा शासकीय भूमि संरक्षित रह सकें। चौथा खदानों से निकासी पानी को व्यर्थ न बहाया जाय। उस पानी को कृषि हेतु व्यवस्था किया जाय। बिना बारिश के फसल नुकसान हो रहा है, क्रेशर खदान संचालित है। जो पानी का व्यवस्था भरा रहता है खदान संचालित करते है तो पानी को बाहर फेकते है। उसको न फेक करके किसान की तरफ व्यवस्थित किया जाये। किसान का फसल भी व्यवस्थित होकर भी उनका अनाज भी ले सकें। उनकी व्यवस्था करते है तो हमारा फसल भी नुकसान नहीं हो पायेगा। पांचवा अपने खदान को छोडकर गिट्टी, मिट्टी को शासकीय भूमि में किया जा रहा है, जिससे मवेशियों का चारागाह बाधित हो रहा है। गावं के मवेशी जानवर की समस्या हमारे ग्राम पंचायत में भी है। अपना गिट्टी, मिट्टी भंडारण वहीं करें। शासकीय जमीन में मिट्टी डस्ट न किया जाये। हमारे ग्राम में मवेशी को चराने के लिए अच्छी जगह मिल सकें। छठवा मेरा अंतिम निवेदन है कि ग्राम पंचायत करमंदा में जिस प्रकार गिट्टी का उत्खनन बिक्री हो रही है। उस प्रकार से रायल्टी का राशि नहीं आ रहा है। क्रेशर संचालको के द्वारा अन्य पंचायतों को रायल्टी बेचा जा रहा है। जिससे हमारे ग्राम पंचायत को राजस्व की हानि हो

रही है। हमारे ग्राम पंचायत को निगरानी समिति को अनुमति दी जाये। इस समस्या की जांच कर उचित कार्यवाही की जाये। भारी नुकसान, हमारे ग्राम पंचायत को होता है, इस बात को विशेष रूप से केयर करेंगे। जितना ज्यादा हो सकें, हमारे ग्राम पंचायत करमंदा का राजस्व बढ सकें। विकास का कार्य बढ सकेगा।

14. **श्री रमाकांत साहू, ग्राम–करमंदा** :– विस्तार के, जो जन सुनवाई होवत हे, ओखर हमन विरोध भी करबो, तभो खदान तो खुलना ही है। विरोध करे के बजाय, आप खदान ला खोला। हमर ग्राम पंचायत के विकास मा जो गौण खनिज के पैसा आवत हे। वो 07 किलोमीटर के दायरा हे, ग्राम पंचायत के विकास मा पैसा देवहू। ग्राम पंचायत मा काम होही। क्रेशर खोले मा हमल ला कोई दिक्कत नहीं है। कोई परेशानी नहीं है। पूर्ण समर्थन करत हव।

15. **श्री शांति लाल साहू, ग्राम–बिरगहनी :–** खदान खुलना चाहिए। बाहर नहीं जाना चाहिए। हमर रोजी चलथे।

16. **श्री कुंजराम साहू, ग्राम–करमंदा** :– हमारे पूर्व सरंपच जो आवेदन दिये है, उसी के अनुसार, मैं समर्थन दे रहा हूॅ।

17. **श्री जगेश्वर पटेल, ग्राम–करमंदा :–** हमारे ग्राम करमंदा में जितने भी खदान चल रहा है, उसमें आस–पास के लोगों को कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। जेसीबी से मिट्टी, गिट्टी मशीन से तोडा जाता है, तो रोजगार कैसे मिलेगा। तब पहले खदान खुला तो लेबर थे। मिट्टी खोदाई होता था। लेबर से गिट्टी तोडाई होता था, तो रोजगार मिलता था। अभी तो मशीन का जमाना है। लेबर पहले गिट्टी डालते थे। अब तो कन्वेयर फीट हो गया है। सारी काम तो मशीन करता है। आसपास के लोगों को कैसे रोजगार मिलता है। कहां रोजगार मिल रहा है। हमको रोजागर मिलना चाहिए। खदान तो खुलेगा, लेकिन रोजगार हमको नहीं मिल रहा है। रोजगार मिलना चाहिए। बोर ब्लास्टिंग हो रहा है, उससे पूरा क्षति हो रहा है। बोर ब्लास्टिंग नहीं होना चाहिए।

18. **श्री युगल किशोर साहू :–** खदान खुलने से सहमत हूॅ। बोर ब्लास्टिंग को बंद किया जाये।

19. **श्री सोनू राठौर, ग्राम पंचायत तेंदूभाटा :–** इस खदान के बारे में बताना चाहूंगा अगर आस–पास में खदान खुलता है, तो हमको अनेको प्रकार से लाभ मिलती है। गौण खनिज का पैसा प्राप्त होता है। जिससे हमारे गांव का विकास होता है इसलिए मैं इस खदान खोलने के लिए समर्थन देता हूॅ मेरा समर्थन है।

20. **श्रीमती रिद्वी राठौर, ग्राम–करमंदा :–** हमला खदान खोले मा कोई दिक्कत नहीं है।

21. **श्री रामधन यादव, ग्राम–करमंदा :–** खदान खुलने में मेरा सहमति है। यदि बोर ब्लास्टिंग होता है, तो उसमें अपत्ति है।

22. **श्रीमती दुर्गा पटेल, ग्राम–करमंदा :–** हमर गांव मा बहुत ब्लास्टिंग होवत हे धर फट जावत हे। 15 महीना के बाद फिर ब्लास्टिंग चालू हो जाथे।

23. **श्रीमती रूकमणी साहू, पूर्व जनपद अध्यक्ष :–** हमर गांव मा खदान बहुत दिन से चलत आवत हें। लेकिन ओखर से हमला कोई आपत्ति नहीं है। ब्लास्टिंग होवत हे आस–पास मा पानी मिलत हे। पानी बर परेशानी है हमला। घर बने हुये हे ओ पूरा दरार आ गये हे। अभी जाकर देखा जहां खदान खुले हे, पानी के परेशानी है। वहां जाकर देखा वहां खेत के क्या स्थिति है।

24. **श्री नरोत्तम बरेठ, ग्राम–करमंदा** :– खदान खोले मा, कोई आपत्ति नहीं है। बाहर से आकर समर्थन देवत हे, ओखर समस्या ला हमन जानबो, ओ क्या जानही। हमर गांव मा ब्लास्टिंग होते हे हमर गांव के सब घर मा दरार पड गये हे। बोर ब्लास्टिंग पूरा बंद होना चाहिए। जितना भी रायल्टी है, ग्राम कममंदा से ही कटना चाहिए। बाहर के मन क्या जानही सिर्फ फायदा मिलत हे, फायदा मिलत हे। समस्या को सिर्फ गांव वाला जुझते। बाहर वाला नही जाने सब चीज ला। बोर ब्लास्टिंग पूरा बंद होना चाहिए। रायल्टी पूरा गांव से ही कटना चाहिए।

25. **श्री अवध राम साहू, ग्राम–करमंदा** :– हम लोग का वही पर खेत है। जमीन पर अपना प्लांट खोल सकते है। हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। बोर ब्लास्टिंग से आपत्ति है।

26. **श्री ननकीराम, ग्राम–करमंदी :–** खदान खोले मा, कोई आपति नहीं है।

27. **श्री कलेश्वर, ग्राम–करमंदी** :– खदान खुले का समर्थन है।

28. **श्री बुद्वेश्वर साहू, ग्राम–करमंदा :–** खदान खोले मा कोई आपत्ति नही है। बडे–बडे ब्लास्टिंग होवत हे, छोटे होना चाहिए। क्रेशर से धूल उडात हे, कुछ तो व्यवस्था होना चाहिए। पानी के छिडकाव होना चाहिए। हमर घर मा धूला उडात हे इतना आज कल शरीर मा, खुजली–उजली हो जावत हे। रोड मन बनना चाहिए। रोड ला तो पंचायत बनावत हे, ये रोड ला भी बनायें। हमर गांव ला सुविधा दे।

29. **श्री रूपसिंह कंवर, ग्राम–करमंदा, वार्ड नं. 02 पंच :–** काम धाम से हमन जीवत खावत। बोर ब्लास्ंिग से विरोध है, ओला झन करें। हमला कोई आपत्ति नहीं है।

30. **श्री संत कुमार वैष्णव, ग्राम–करमंदा :–** खदान खोलने से संपूर्ण रूप से आपत्ति है। बहुत ज्यादा पानी की समस्या होती है, ब्लास्टिंग होती है, तो मेरा घर में दरार आ गया है, ऐसा लगता है कि कभी भी गिर जायेगा। इससे पूर्ण रूप से आपत्ति है। किसी भी अन्य प्रकार का खदान खोलने की अनुमति न दी जाये। धूल धक्कड पूरा उडते रहता है हजार बार उसके लिए पंयायत स्तर को मना करने पर उन लोग कोई प्रकार की कार्यवाही नहीं करते है।

31. **उपस्थित जन समुदाय में से किसी व्यक्ति ने कहा :–** खदान खुले मा कोई आपत्ति नहीं है।

32. **श्री रामेश्वर प्रसाद पटेल, ग्राम–करमंदा :–** खदान चलाने में कोई आपत्ति नहीं है। बोर ब्लास्टिंग से बंद रखें। बोर ब्लास्टिंग से बडा–बडा पत्थर का छिडकाव होता है। बच्चे लोग बाल–बाल बचे है, दो–तीन बार। बोर ब्लास्टिंग को बंद रखें।

33. **श्री धनेश राम साहू करमंदा :–** खदान खोले मा, कोई आपत्ति नहीं है। बोर ब्लास्टिंग नहीं होना चाहिए।

34. **श्री नंदू तेली, ग्राम–पोच :–** मैं नरेंद्र राठौर के क्रेशर से गिट्टी लेथव। उधार मा देथे, नगदी मा देथे। मैं ऐखर समर्थन करत हव।

35. **श्री मनीष राठौर, ग्राम–करमंदा :–** खदान का समर्थन है। जो भी आपत्ति जनक बेजा कब्जा हो रहा है, उसको कम किया जाये। बोर ब्लास्टिंग को कम किया जाये। इसके लिए, मैं समर्थन करता हूँ।

36. **श्री राम शरण साहू, ग्राम–करमंदा :–** खदान खोले मा कोई आपत्ति नहीं हे।

37. **श्रीमती रेणू साहू, ग्राम–करमंदा :–** रोड बहुत खराब है। सेठ–मरवाडी मन देखव नहीं पावत थे। वही पर नहकावत हे, ट्रेक्टर वाला मन। छोटे–छोटे बच्चा मन बाल–बाल बचे हे।

38. **श्री कांता राठौर, ग्राम–करमंदा :–** खदान खोले मा, कोई आपत्ति नहीं हे।

39. **श्री नरेन्द्र कुमार साहू, ग्राम–करमंदा :–** मेरा मेन समस्या ये है, कि जो भी अभी खदान खुला है, वो अपना पौधा रोपण अभी तक नहीं किये है। सभी अधिकारियों से निवेदन करता हूँ, कि एक सप्ताह के अंदर तत्काल में, कम से कम 500–500 पौधारोपण अपने परिक्षेत्र में करें। दूसरी समस्या ये है, कि जो वेस्ट पानी खदान से

नाला के तरफ जा रहा है, जो सिंचाई नहीं हो पा रहा है, उससे सिंचाई निश्चित हो पायेगा।

40. **श्री वेंकट रमन साहू :–** खदान के लीज के नजदीक के आदमी हव, मैं मोर खेत मा जब बडे–बडे ब्लास्टिंग होथे। पत्थरा मोर खेत मा आकर गिरथे। पिछले साल के बात हे, मोर सामने बडे–कन पत्थरा आकर गिरीस। लटपट मोर जान बचिस हे। जतका भी खदान वाला हे, सब मन माटी ला फेकत हवय। अपन माटी, अपन जगह मा फेके न भाई, ओ क्रेशर वाला हे, खदान वाला हे। जगह–जगह गौ चारा के जगह मा पत्थरा ला उलद देथे।

उपरोक्त वक्तव्यों के बाद अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दण्डाधिकारी, जिला–जांजगीर–चांपा तथा क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जन समुदाय से अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया गया। किंतु जब कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ तब लगभग 1:00 बजे अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दण्डाधिकारी, जिला–जांजगीर–चांपा द्वारा लोकसुनवाई सम्पन्न होने की घोषणा की गई।

लोकसुनवाई स्थल पर लिखित में 01 आवेदन पत्र सुझाव/विचार/टीका –टिप्पणी प्राप्त हुई। स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आवेदक से परियोजना पर सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर दिया गया। लोक सुनवाई के दौरान 40 व्यक्तियों के द्वारा मौखिक सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां अभिव्यक्त की गई, जिसे अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई में लगभग 150 व्यक्ति उपस्थित थे। उपस्थिति पत्रक पर कुल 109 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किया गया। आयोजित लोक सुनवाई की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी कराई गई।

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल,
बिलासपुर (छ.ग.)

अपर कलेक्टर,
एवं अपर जिला दण्डाधिकारी,
जिला–जांजगीर–चांपा